(69)

संख्याः- 125 / II-2012-07(11) / 2011

प्रेषक,

एन0एस0 नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
यमुना कालोनी, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांकः 06 जुलाई, 2012

विषयः **स्नानघाट निर्माण हेतु एन0ओ0सी0 दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्रांक 122 / मु0अ0वि0 / सिं0रा0प्र0 / एल-6(लीज) दिनांक 07.01.2012 में अंकित सहमति / संस्तुति के क्रम में जन सुविधा को दृष्टिगत् रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार श्री महात्मा घनश्याम, सच्चा प्रशान्त निरूपम सोसाइटी, 24, सत्यम विहार को जनपद हरिद्वार के खतौनी खाता सं0-119 के खसरा नं0-123, 124 एवं 125 में कुल रकवा 1.518 है0, जो भू-अभिलेखों में स्वामी घनश्याम प्रेमानन्द-आदेश कुमार के नाम स्वामित्व व अधिकार दर्ज है, की तलहटी में स्थित बेनाप सरकारी भूमि पर स्नान घाट का निर्माण स्वयं के व्यय पर किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है-

1. प्रस्तावित घाट की भूमि स्वामित्व पूर्णतः सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड का रहेगा।
2. घाट निर्मित होने के पश्चात् उसका उपयोग पूर्णतः सार्वजनिक रहेगा।
3. घाट निर्माण के समय किसी प्रकार के वाद-विवाद, लेन-देन एवं घटना / दुर्घटना के लिये निर्माणकर्ता संस्था ही उत्तरदायी होगी।
4. प्रस्तावित घाट पर स्नान के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक कार्य कराना वर्जित होगा।
5. प्रस्तावित घाट पर किसी प्रकार की पूर्व सम्पत्ति को कोई हानि नही पहुंचायी जायेगी।
6. घाट निर्माण कराने से पूर्व घाट का डिजायन एवं ड्राइंग विभाग से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

भवदीय,

(एन0एस0 नेगी)
सचिव।